प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दो अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, कुल 18 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 10.04.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम व थाना रामपुरमथुरा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों से **कुल 04 अभियुक्तगण** को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से मौके से **15 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 03 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 12 कारतूस एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण** बरामद हुए है। उक्त दोनो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में क्रमशः थाना लहरपुर पर मु0अ0सं0 213/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट व थाना रामपुरमथुरा पर मु0अ0सं0 135/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से बरामद अवैध तमंचो के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्तगण अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ के लिये आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रो की मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण एवम् विक्रय की तैयारियां कर रहे थे एवम् विभिन्न स्थानों पर अवैध शस्त्र बेचने का कार्य करते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहे के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। विवरण निम्न है-

➢ कार्यवाही थाना लहरपुर----

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ. राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी लहरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त मायाराम पुत्र श्रीपाल लोहार नि0 कंजा शरीफपुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ग्राम नेवादा के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से **कुल 12 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 01 अर्द्धनिर्मित तमंचा, 09 कारतूस एवं अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने व मरम्मत करने के उपकरण**

बरामद हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना लहरपुर पर मु0अ0सं0 213/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से बरामद अवैध तमंचे के संबंध में मु0अ0सं0 214/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 213/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना लहरपुर, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 214/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना लहरपुर, सीतापुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u> मायाराम पुत्र श्रीपाल लोहार नि0 कंजा शरीफपुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर

<u>बरामदगी विवरण–</u> 12 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 01 अर्द्धनिर्मित तमंचा, 09 कारतूस एवं अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने व मरम्मत करने के उपकरण

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम–</u>

1. उ0नि0 श्री पवन कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह
3. हे0का0 निसार अहमद
4. हे0का0 श्यामदेव राम
5. आरक्षी मो0 कासिम

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त मायाराम उपरोक्त-</u>

1. मु0अ0सं0 111/2003 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना तालगांव जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 112/2003 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तालगांव जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 213/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली लहरपुर सीतापुर
4. मु0अ0सं0 214/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली लहरपुर सीतापुर

➢ <u>कार्यवाही थाना रामपुर मथुरा----</u>

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्तगण 1.रामसमुझ पुत्र शंभूदयाल 2.रामकिशोर पुत्र शंभू दयाल नि0गण करनापुर 3.सुरेश पुत्र कंधई नि0 घोसादासपुरवा मजरा टिकठा थाना रामपुर मथुरा सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए करनापुर के पास से गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से मौके से कुल **03 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 02 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 03 कारतूस एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण** बरामद हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना रामपुर मथुरा पर मु0अ0सं0 135/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया

है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के कब्जे से बरामद अवैध तमंचे के संबंध में अभियोग अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 132/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 133/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
3. मु0अ0सं0 134/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
4. मु0अ0सं0 135/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर

<u>अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. रामसमुझ पुत्र शंभूदयाल नि0 करनापुर थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
2. रामकिशोर पुत्र शंभू दयाल नि0 करनापुर थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
3. सुरेश पुत्र कंधई नि0 घोसादासपुरवा मजरा टिकठा थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर

<u>बरामदगी विवरण–</u> 03 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 02 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 03 कारतूस एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम–</u>

1. थानाध्यक्ष श्री अमित सिंह भदौरिया
2. उ0नि0 श्री जीवन चंद्र जोशी
3. उ0नि0 श्री शैलेंद्र सिंह
4. का0 राजन मौर्या
5. का0 शिवम कुमार

<u>आपराधिक इतिहास-*</u>

अभियुक्त रामसमुझ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 73/11 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मथुरा, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 132/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
3. मु0अ0सं0 135/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर

अभियुक्त रामकिशोर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 73/11 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मथुरा, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 133/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
3. मु0अ0सं0 135/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर

अभियुक्त सुरेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 134/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 135/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर